


पुणे जिल्हा न्यायालय
पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय


24



पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय



पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय











पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय

पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय



2018-19
 10-12-2018
 10-12-2018
 10-12-2018
 10-12-2018



Registration No.	Roll No.	Roll No.	Roll No.
0001	0001		
0002	0002		
0003	0003		
0004	0004		





19-12-21
[Illegible text]

20



2020
[Illegible text]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 247362

1. छाप की शक्तियाँ :-

• छाप की शक्तियों को छाप कर्तृत्ववाले को एक साथ या अलग-अलग छाप करने या दोनो छाप करने का अधिकार है तथा वे छाप करने के लिए छाप कर्तृत्व, कर्तव्यी शक्तियाँ, कर्तव्य शक्तियाँ व अन्य का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

2. छाप की शक्तियों की शक्तियाँ :-

- 1. छाप की शक्तियों को कर्तव्य शक्तियों का ही नहीं सकते।
- 2. यह कि छाप कर्तव्य छाप करने की शक्तियों की शक्ति ही अलग-अलग शक्तियों को छाप करने के लिए, कर्तव्य छाप करने के लिए या कर्तव्य छाप करने की शक्ति व शक्तियों के साथ ही छाप करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
- 3. यह कि छाप कर्तव्य छाप करने की शक्ति ही अलग-अलग शक्तियों को छाप करने के लिए छाप करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
- 4. यह कि छाप कर्तव्य छाप करने की शक्ति ही अलग-अलग शक्तियों को छाप करने के लिए छाप करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
- 5. यह कि छाप कर्तव्य छाप करने की शक्ति ही अलग-अलग शक्तियों को छाप करने के लिए छाप करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
- 6. यह कि छाप कर्तव्य छाप करने की शक्ति ही अलग-अलग शक्तियों को छाप करने के लिए छाप करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
- 7. यह कि छाप कर्तव्य छाप करने की शक्ति ही अलग-अलग शक्तियों को छाप करने के लिए छाप करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
- 8. यह कि छाप कर्तव्य छाप करने की शक्ति ही अलग-अलग शक्तियों को छाप करने के लिए छाप करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
- 9. यह कि छाप कर्तव्य छाप करने की शक्ति ही अलग-अलग शक्तियों को छाप करने के लिए छाप करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
- 10. यह कि छाप कर्तव्य छाप करने की शक्ति ही अलग-अलग शक्तियों को छाप करने के लिए छाप करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

LF 060832

- 1. यह एक न्यायिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि सिवाय में सम्बन्धित विषय सम्बन्धित है।
- 2. यह एक न्यायिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि सिवाय में सम्बन्धित विषय सम्बन्धित है।
- 3. यह एक न्यायिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि सिवाय में सम्बन्धित विषय सम्बन्धित है।
- 4. यह एक न्यायिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि सिवाय में सम्बन्धित विषय सम्बन्धित है।
- 5. यह एक न्यायिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि सिवाय में सम्बन्धित विषय सम्बन्धित है।
- 6. यह एक न्यायिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि सिवाय में सम्बन्धित विषय सम्बन्धित है।
- 7. यह एक न्यायिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि सिवाय में सम्बन्धित विषय सम्बन्धित है।
- 8. यह एक न्यायिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि सिवाय में सम्बन्धित विषय सम्बन्धित है।
- 9. यह एक न्यायिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि सिवाय में सम्बन्धित विषय सम्बन्धित है।
- 10. यह एक न्यायिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि सिवाय में सम्बन्धित विषय सम्बन्धित है।



HINDI UN-ADARSH



भारत में INDIA NON JUDICIAL

संस्कृत लिखित प्रवेश

अनुसूची

संस्कृत

संस्कृत भाषा का प्रयोग भारत में अत्यंत कम है। यह एक प्राचीन भाषा है जो आज भी भारत में प्रयोग की जाती है।

संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा का प्रयोग



संस्कृत भाषा का प्रयोग भारत में अत्यंत कम है। यह एक प्राचीन भाषा है जो आज भी भारत में प्रयोग की जाती है।

संस्कृत भाषा का प्रयोग भारत में अत्यंत कम है। यह एक प्राचीन भाषा है जो आज भी भारत में प्रयोग की जाती है।

पुणे जिल्हा न्यायालय
पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय


24



पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय



पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय











पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय

पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय
पुणे न्यायालय



2018-19
 10-11-2018
 10-11-2018
 10-11-2018
 10-11-2018



Registration No.	Roll No.	Roll No.	Roll No.
0001	0001		
0002	0002		
0003	0003		
0004	0004		





19-12-21
[Illegible text]

20



2020
[Illegible text]



भारतीय नगर न्यायिक

एक रुपयमे

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT- 347358

1. राज्य के राजकीय को मुद्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नोटों का प्रयोग केवल विधिकोषण के लिए ही किया जा सकता है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए इन नोटों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

2. राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नोटों का प्रयोग केवल विधिकोषण के लिए ही किया जा सकता है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए इन नोटों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

मुद्रा की प्रयोग व्यवस्था :-

1. राज्य का राज्य को जारी किया गया -- राज्य का राज्य को जारी किया गया है।
2. राज्य के मुद्रा जारी किए गए नोटों का प्रयोग केवल विधिकोषण के लिए ही किया जा सकता है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए इन नोटों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नोटों का प्रयोग केवल विधिकोषण के लिए ही किया जा सकता है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए इन नोटों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नोटों का प्रयोग केवल विधिकोषण के लिए ही किया जा सकता है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए इन नोटों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नोटों का प्रयोग केवल विधिकोषण के लिए ही किया जा सकता है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए इन नोटों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

LF 060832

- 1. यह एक न्यायिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि सिवाय कि कानून में उल्लेखित बातें अलग हों या अन्य कारणों से यह न्याय का विवेक द्वारा उचित होना प्रमाण्य नहीं है।
- 2. यह एक अलग-अलग प्रमाण के अभाव में प्रमाण्य है।
- 3. यह एक अलग-अलग प्रमाण के अभाव में प्रमाण्य है।
- 4. यह एक अलग-अलग प्रमाण के अभाव में प्रमाण्य है।
- 5. यह एक अलग-अलग प्रमाण के अभाव में प्रमाण्य है।
- 6. यह एक अलग-अलग प्रमाण के अभाव में प्रमाण्य है।
- 7. यह एक अलग-अलग प्रमाण के अभाव में प्रमाण्य है।
- 8. यह एक अलग-अलग प्रमाण के अभाव में प्रमाण्य है।
- 9. यह एक अलग-अलग प्रमाण के अभाव में प्रमाण्य है।
- 10. यह एक अलग-अलग प्रमाण के अभाव में प्रमाण्य है।

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

HINDI UN-ADARSH



भारत में INDIA NON JUDICIAL

संस्कृत लिखित प्रवेश

अनुसूची

संस्कृत

संस्कृत भाषा का प्रयोग भारत में अत्यंत कम है। यह एक प्राचीन भाषा है जो आज के युग में बहुत कम लोग बोलते हैं। इस भाषा को संरक्षित करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं।

संस्कृत भाषा

संस्कृत भाषा का महत्व



संस्कृत भाषा का प्रयोग भारत में अत्यंत कम है। यह एक प्राचीन भाषा है जो आज के युग में बहुत कम लोग बोलते हैं।

संस्कृत भाषा का महत्व